

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- राज्य मिशन निदेशक(अमृत), स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2023

विषय:- अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल एवं सीवरेज की परियोजनाओं के सापेक्ष सेन्टेज की रू० 269.65 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मिशन निदेशक अमृत के पत्र संख्या-एसएमएमयू/161/39(6)/2023, दिनांक 24-07-2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अमृत योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल एवं सीवरेज की परियोजनाओं के सापेक्ष सेन्टेज की रू० 269.65 करोड़ (रूपय दो अरब उन्हत्तर करोड़ पैसठ लाख मात्र) को निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए राज्य मिशन निदेशक अमृत के नोडल खाते में निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं इस संबंध में जारी शासनादेशों के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।
- (2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का व्यय अमृत के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।
- (4) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) 'सेन्टेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,57,15,00,000 (रुपये एक अरब सत्तावन करोड़ पंद्रह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217051918903 अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्साफारमेशन के अन्तर्गत सहायता मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2) रुपये 1,12,50,00,000 (रुपये एक अरब बारह करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24

के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217051928903 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रांसफारमेशन के अन्तर्गत सहायता मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-161-X-2023-24, दिनांक- 22 अगस्त, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
22.08.2023

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
६

संख्या- 99(1)/2023/नौ-5-2023/001-Com.No.-1445206, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 12- गार्ड फाईल/कंप्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
22.08.2023

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
६

Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▾

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-Com.No.-1445206

स्वीकृति तिथि: 21/08/2023

यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-Com.No.-1445206

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2217051918903 - अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	15,715.71	0.00	15,715.00	15,715.00
योग :	15,715.71	0.00	15,715.00	15,715.00

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-Com.No.-1445206

स्वीकृति तिथि: 21/08/2023

यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-Com.No.-1445206

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2217051928903 - अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00
योग :	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव